भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *15

22.07.2024 को उत्तर के लिए

तमिलनाडु में सर्वाधिक प्रदूषित नदी खंड

***15. श्री माथेश्वरन वी. एस. :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में "प्राथमिकता-I" (सर्वाधिक प्रदूषित) नदी खण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा नमक्कल जिले के पल्लीपलायम क्षेत्र में कावेरी नदी में प्रत्येक वर्ष बहने वाले अशोधित गंदे पानी और औद्योगिक अपशिष्ट के संबंध में किए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वायु और जल अधिनियम के अंतर्गत रंगाई और वस्त्र इकाइयों के विरुद्ध वर्ष 2019 से अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) क्या सीपीसीबी ने इरोड जिले के नमक्कल के कावेरी क्षेत्र में मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) स्थापित करने की किसी योजना को अनुमोदित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"तमिलनाडु में सर्वाधिक प्रदूषित नदी खंड" के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को उत्तर के लिए माननीय संसद सदस्य श्री माथेश्वरन वी. एस. द्वारा पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 15 के पैरा (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा वर्ष 2019 और 2021 के जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2022 में कुल 311 प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) अभिज्ञात किए गए थे। तदनुसार, तमिलनाडु में 10 पीआरएस अर्थात प्राथमिकता I (4), प्राथमिकता II (1), प्राथमिकता III (1), प्राथमिकता IV (1) और प्राथमिकता V (3) अभिज्ञात किए गए थे। प्राथमिकता I श्रेणी में अभिज्ञात पीआरएस का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :

क्र.सं.	नदी का नाम	प्रदूषित नदी खंड/अवस्थान	पाई गई अधिकतम बीओडी	प्राथमिकता श्रेणी
1.	अडयार	तांबरम से नंदनम	40.0	I
2.	कूवम	आवडी से सत्य नगर	345.0	1
3.	तिरुमणिमुतार	सलेम से लगा खंड	56.0	I
4.	वशिष्ठ	सलेम से लगा खंड	230.0	1

(ख) वर्ष 2018 में सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2016 और 2017 के जल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों के आधार पर 351 प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) अभिज्ञात किए गए थे। इनमें से, प्राथमिकता श्रेणी I (बीओडी >30 मिग्रा/ली) के अंतर्गत मेट्टूर से मयिलाडुतुरई तक कावेरी नदी के प्रदूषित खंड सहित तमिलनाडु राज्य में 6 पीआरएस अभिज्ञात किए गए थे।

सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2018 के दौरान अभिज्ञात किए गए 351 प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए, सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए सभी प्रदूषित नदी खंडों को स्नान प्रयोजनों के लिए उपयुक्त (अर्थात बीओडी <3 मिग्रा/ली और एफसी < 500 एमपीएन/100मिली) बनाने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव, पर्यावरण के समग्र पर्यवेक्षण और समन्वय के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित नदी पुनरुद्धार समिति (आरआरसी) द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी और केन्द्रीय स्तर पर गठित केन्द्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

उपरोक्त के अलावा, जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं :-

- भारत सरकार ने जल स्रोतों के संरक्षण हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न उपबंध अधिनियमित किए हैं। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जलीय संसाधनों में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, दोनों के उपबंधों को क्रियान्वित कर रहे हैं।
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के तहत एसपीसीबी/पीसीसी को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित अभिकरणों को मलजल शोधन के लिए अवसंरचना विकसित करने का निदेश देने को कहा गया है।

- भारत सरकार ने जल स्रोतों में प्रदूषण के निवारण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत सामान्य निस्सरण संबंधी मानक और उद्योग विशिष्ट बहिस्राव निस्सरण संबंधी मानक विनिर्दिष्ट किए हैं।
- जल स्रोतों की पुनर्स्थापना/पुनरूद्धार सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के मार्गदर्शन के रूप में सीपीसीबी द्वारा 'जल स्रोतों की पुनस्थार्पना हेतु निर्देशात्मक दिशा-निर्देश' जारी किए गए हैं।
- जल स्रोतों में मूर्ति विसर्जन संबंधी संशोधित दिशानिर्देश देश में दिनांक 01 जनवरी, 2021 से लागू किए गए हैं।
- सीपीसीबी ने दिनांक 17.02.2023 के पत्र के द्वारा सभी एसपीसीबी/पीसीसी से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17(1)(क) के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थिर जल स्रोतों से होने वाले प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण/उपशमन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।

(ग) सीपीसीबी द्वारा वर्ष 2019 से अब तक वायु और जल अधिनियम के तहत किसी अधिकरण/न्यायालय के समक्ष किसी वस्त्र रंगाई उद्योग के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

(घ) सीपीसीबी, मलजल शोधन संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापना के लिए किसी भी प्रकार का अनुमोदन प्रदान नहीं करता है।

******